फर्द अहकाम

नियम (26)

नाम अदालत [illegible] मुकाम कपासन

कन्हैया लाल बनाम सरकार

नं. 123 सन् 2014

किस्म मुकदमा 136 CR.ACT

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13/3/2018	पत्रावली निगोह के तलब हुई। पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में संलग्न आदेशिका 14.3.2015 के बाद नहीं चली। वकील वादी हाजिर। हाजिर वकील वादी ने निवेदन किया की पत्रावली निगोह के पटल पावे वकील वादी के निवेदन को स्वीकार कर पत्रावली पुनः नम्बर मे ली जाती है। पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया। संक्षिप्त में मामला इस प्रकार है कि मौजा धोबी खेड़ा प0 ह0 पमाणा तहसील कपासन की आ0स0 452,453 कुल किता 2 कुल रकबा 2.90 हे0 वर्तमान में नाथू लाल, मोहन लाल पिता गंगाराम 2/3 हरिशंकर, ओम प्रकाश, दिनेश चन्द, सुरेश चन्द्र, प्रेम देवी, गीता बाई पिता रामविलास मु. नारायणी बाई पत्नी रामविलास 1/3 ब्राह्मण साकिन पमाणा के खातेदारी में दर्ज है। यह कि उक्त हाल आ0स0 452,453 के साबिक आ0स0 959 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा तथा आ0स0 960 रकबा 10 बीघा 11 बिस्वा स्थित है जो उक्त इन्द्रे बेदखली मे स्थित थे। यह कि साबीक आ0स0 959, 960 के खातेदार नाथु लाल, मोहन लाल, रामविलास पिता गंगाराम ब्राह्मण थे तथा उक्त आराजियात में के 1/3 हिस्सा नाथू लाल	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तारीख हुक्म	
	सं. 1727 दिनांक 14.5.1993 को वादी कन्हैया- लाल पिता नाथू लाल के नाम पर इन्तकाल खुल करके दर्ज हो चुका था। यह कि उक्त सेटलमेन्ट कर्मचारियों की गलती से उक्त आराजियात [illegible] से वादी के नाम पर दर्ज नहीं करके पुनः नाथू लाल पिता गंगाराम ब्राह्मण के नाम पर ही दर्ज कर दी गई जो आज भी उक्त खातेदार के नाम पर दर्ज है जबकि खातेदार नाथू लाल के बजाय वादी कन्हैयालाल के नाम पर दर्ज करनी चाहिये थी। तथा सेटलमेंट कर्मचारियों ने भूलवश गलती से गलत प्रविष्टि कर दी गई है। यह कि साबिक आ0न0 959, 960 ग्राम पमाणा में दर्ज थी लेकिन सेटलमेन्ट के समय राजस्व ग्राम धोबी खेडा घोषित हो जाने के कारण उक्त साबिक आ0सं0 959, 960 के जो नये नम्बर 452, 453 बने हैं। अतः प्रार्थना है कि वादी का वा.प. स्वीकार फरमाया जाकर मौजा धोबी खेडा की आ0न0 452 रकबा 1.87 है., आ.न 453 रकबा 1.03 है. कुल किता 2 कुल रकबा 2.90 है. में साबिक रेकार्ड के अनुसार खातेदार नाथू लाल के बजाय वादी कन्हैया लाल पिता नाथूलाल के नाम दर्ज किये जाने का आदेश फरमाया जावे। उक्त के सम्बन्ध में पक्षान पेशकार सरकार द्वारा प्रस्तुत कर वा.प. के तथ्यों को स्वीकार करते हुए। साबिक ख0न0 959, 960 के हाल न $\frac{452}{1.87}$ व $\frac{453}{1.03}$ में नाथूलाल की वसीयत ना.क. अमल नहीं होकर नाथूलाल का नाम आ गया। अतः ना.क. 1727 दि. 14.5.93 का ग्राम धोबी खेडा की आ0न0 $\frac{452}{1.87}$, $\frac{453}{1.03}$ में नाथूलाल के बजाय कन्हैयालाल पु. नाथूलाल का नाम दर्ज होना चाहिये। इसने वा.प.

12

Web Copy - Not Official

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	व पत्राव सा.प. का अवलोकन किया। सा.प. स्वीकार करते हुवे निर्णय लिया जाता है कि मौजा जोगी खेड़ा प० ह० पमाणा तहसील कपासन की आ० नं० 452, 453 कुल किता 2 कुल रकबा 2.90 हे० मे दर्ज नाथूलाल पिता गंगाराम के बजाय कन्हैयालाल पिता नाथूलाल नाम दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है तदनुसार राजस्व रेकार्ड मे अमल हो, शेष दस्तूर रहे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश सुना गया। (अभिषेक गोयल) सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, कपासन जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.)	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official